

Government of India Ministry of Railways Railway Board



RBA No. 35/2023 GST Circular No. 13/2023

No. 2017/AC-II/1/6/GST/Main Vol IV

New Delhi, dated 09.11.2023

General Manager

All Zonal Railways/Production Units

Sub: Instructions regarding applicability of |GST under Forward Charge Mechanism for all Outward supplies with effect from 20.10.2023.

Ref. No. RBA No. 32/2023 & GST Circular No. 12/2023 dtd. 20.10.2023.

In the above referred Railway Board Accounts Circular, it was communicated that with effect from 20th October 2023 all the outward supplies (goods and services) made by IR that were earlier covered under reverse charge is converted to forward charge by virtue of CBIC Notification No. 14/2023 – CT (R) and Notification No. 19/2023 – CT (R). The said change requires amendment in earlier instructions issued vide previous Railway Board Accounts Circulars and the same are hereunder:

S. No.	RBA No	Amendment
1.	RBA No. 67/2017 dated 07.06.2017	In Annexure-2, description of item at S. No. 26 "whether taxes paid on reverse charge mechanism", will be marked as "No" w.e.f. 20.10.2023 as all outward supply by IR are under forward charge mechanism.
2.		Notwithstanding anything contained in the said RBA, w.e.f. 20.10.2023 on outward supply of <u>used vehicles</u> , seized and <u>confiscated goods</u> , old and <u>used goods</u> , waste, and scrap, IR is required to charge GST on the tax invoice (subject to any exemptions under GST provisions), collect the same from its customers and is also liable to pay it to the government exchequer under forward charge. The said invoices shall also be reported under forward charge in the monthly returns.

3.	RBA No. 06/2018 dated 02.02.2018	Notwithstanding anything contained in the said RBA, w.e.f. 20.10.2023 on outward supply of services by way of renting of immovable property to a person registered under CGST Act, 2017, IR is required to charge GST on the tax invoice(subject to any exemptions under GST provisions), collect the same from its customers and is also liable to pay it to the government exchequer under forward charge. The said invoices shall also be reported under forward charge in the monthly returns.
4.	RBA No. 27/2018 dated 26.03.2018	The RBA discusses flagging of inward supplies as T1, T2, T3, T4 or C2.
		 "T2" if used exclusively for effecting outward supplies which were covered under reverse charge, or "C2" if used for effecting taxable outward supplies and outward supplies covered under reverse charge However, with effect from 20.10.2023, as all the outward supplies have been converted to forward charge hence, the tax paid on inward supplies will be flagged as under:
		 "T4" if used exclusively for effecting taxable supplies and zero-rated supplies or "C2" if used partly for effecting exempt supplies, and partly for effecting taxable supplies or "T3" if ITC is ineligible u/s 17(5) of the CGST Act, 2017.
		Note: It shall be the responsibility of all the zonal railways/production units to correctly flag the tax paid on inward supplies as T1, T2, T3, T4 & C2 in consultation with their respective local GST consultants.
5.	RBA No. 26/2021 dated 31.03.2021	Notwithstanding anything contained in the said circular, all the outward supply of services by IR have been converted to forward charge mechanism. Hence, IR is required to charge GST on the tax invoice(subject to any exemptions under GST provisions), collect the same from its customers and is also liable to pay it to the government exchequer under forward charge. The said invoices shall also be reported under forward charge in the monthly returns.
6.	dated 26.05.2023	Supplies of works contract services on deposit works basis by IR to the deposing firm is now converted to forward charge. Accordingly, IR is required to charge GST on the tax invoice (subject to any exemptions under GST provisions), collect the same from its customers and is also liable to pay it to the government exchequer

under forward charge. The said invoices shall also be reported under forward charge in the monthly returns.

Inward supplies received by IR for further supplying works contract services on deposit works basis shall be flagged as per the instructions given in S. No. 4.

All the zonal railways and production units shall ensure the compliance of above in consultation with their local GST consultants. In case of any specific issues in implementing the above instructions may be brought to the notice of Railway Board.

(Vipul Tripathi)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to: -

- 1. All EDs, ED level empowered Committee, Railway Board
- 2. All Directors, Director level GST Cell, Railway Board
- 3. PFAs, All Zonal Railways and Production Units
- 4. MD/IRFC
- 5. GM/Finance/GSTM, GM/AIMS, CRIS, GM/IRePS, CRIS.
- 6. Chief Executive Officer, Ministry of Commerce and Industry, Government eMarketplace,2" Floor, Jeevan Tara Building, Sansad Marg, New Delhi 110 001 with a request to give effect to the above in GeM portal as requested in Ministry of Railway's letter dated 27.11.2020, to ensure GST compliance.



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)



आरबीए सं. 35/2023

जीएसटी परिपत्र सं. 13/2023

सं. 2017/एसी-।।/1/6/जीएसटी/मेन वॉल. IV

नई दिल्ली, दिनांक 09.11.2023

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: दिनांक 20.10.2023 से सभी जावक आपूर्तियों के लिए अग्रेषण प्रभार तंत्र के अंतर्गत जीएसटी की अनुप्रयोज्यता के संबंध में अनुदेश।

संदर्भ: दिनांक 20.10.2023 का आरबीए सं. 32/2023 एवं जीएसटी परिपत्र सं. 12/2023.

उक्त संदर्भित रेलवे बोर्ड लेखा परिपत्र में, यह सूचित किया गया था कि 20 अक्टूबर, 2023 से भारतीय रेल द्वारा की गई सभी जावक आपूर्तियां (वस्तु एवं सेवा), जो पहले रिवर्स प्रभार के अंतर्गत थीं, को सीबीआईसी अधिसूचना सं. 14/2023 - सीटी (आर) और अधिसूचना सं. 19/2023 - सीटी (आर) के आधार पर अग्रेषण प्रभार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उक्त परिवर्तन में पिछले रेलवे बोर्ड लेखा के परिपत्रों के तहत जारी किए गए पहले के अनुदेशों में संशोधन करना अपेक्षित होगा और वे नीचे दिये गये हैं:

क्रम	आरबीएस सं.	संशोधन
सं.		
1.	दिनांक	अनुलग्नक-2 में, क्रम सं. 26 पर दी गई मद का विवरण "क्या
	07.06.2017	रिवर्स प्रभार तंत्र पर भुगतान किए गए करों', को दिनांक
	का आरबीए	20.10.2023 से "नहीं" के रूप में चिहिनत किया जाएगा, चूंकि

	सं. 67/2017	भारतीय रेल द्वारा सभी जावक आपूर्तियां अग्रेषण प्रभार तंत्र के अंतर्गत हैं।
2.	दिनांक	उक्त आरबीए में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, दिनांक
	23.10.2017	20.10.2023 से <u>उपयोग किए गए वाहनों, जब्त और कब्जे में लिए</u>
	का आरबीए	गए माल और उपयोग किए गए सामान, कबाड़ तथा स्क्रैप की
	सं. 152/2017	जावक आपूर्ति पर भारतीय रेल द्वारा कर बीजक (जीएसटी
		प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी छूट के अध्यधीन) पर जीएसटी
		प्रभारित करना अपेक्षित है और इसे अपने ग्राहकों से एकत्रित करने
		तथा अग्रेषण प्रभार के अंतर्गत सरकारी खजाने में इसका भुगतान
		करने के लिए भी दायी है। उक्त बीजक को मासिक रिटर्न में
		अग्रेषण प्रभार के अंतर्गत भी दर्शाया जाएगा।
3.	दिनांक	उक्त आरबीए में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, दिनांक
	02.02.2018	20.10.2023 से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत पंजीकृत
=	का आरबीए	किसी व्यक्ति की अचल सम्पत्ति को किराए पर देने के माध्यम से
	सं. 06/2018	सेवाओं की जावक आपूर्ति पर भारतीय रेल द्वारा कर बीजक
		(जीएसटी प्रावधानों के अंतर्गत किसी छूट के अध्यधीन) पर
		जीएसटी प्रभारित करना अपेक्षित है और इसे अपने ग्राहकों से
-		एकत्रित करने तथा अग्रेषण प्रभार के अंतर्गत सरकारी खजाने में
		इसका भुगतान करने के लिए भी दायी है। उक्त बीजक को मासिक
		रिटर्न में अग्रेषण प्रभार के अंतर्गत भी दर्शाया जाएगा।
4.	दिनांक	आरबीए टी1, टी2, टी3, टी4 या सी2 के रूप में आवक आपूर्ति की
	26.03.2018	फ्लेगिंग को वर्णित करता है।
	का आरबीए	आरसीएम के अंतर्गत शामिल जावक आपूर्ति को आईटीसी की
	सं. 27/2018	फ्लैगिंग के लिए "छूट आपूर्ति" के रूप में माना जाता है। दिनांक
	4	20.10.2023 से पहले अरसीएम के अंतर्गत जावक आपूर्ति के
		प्रयोजन के लिए उपयोग की गई आवक आपूर्ति पर भुगतान किए
		गए कर को या तो निम्नलिखित के रूप में फ्लैग किया गया थाः
		- "टी2" यदि इसका उपयोग केवल जावक आपूर्तियों को
- f		प्रभावित करने के लिए किया गया हो, जो रिवर्स प्रभार के
		अंतर्गत आते थे, या
		- "सी2" यदि कर योग्य जावक आपूर्तियों और रिवर्स प्रभार के
		अंतर्गत आने वाली जावक आपूर्तियों को प्रभावित करने के
		लिए उपयोग किया गया हो।

,	,	
		बहरहाल, दिनांक 20.10.2023 से, चूंकि सभी जावक आपूर्तियां
		अग्रेषण प्रभार में परिवर्तित कर दी गई हैं, अतः आवक
		आपूर्तियों पर दिए गए कर की निम्नानुसार फ्लैगिंग की जाएगी:
		- "टी4" यदि केवल कर योग्य आपूर्तियों और शून्य-दर वाली आपूर्तियों के लिए उपयोग किया गया हो या
		- "सी2" यदि छूट आपूर्तियों को प्रभावित करने के लिए
		आंशिक रूप से और कर योग्य आपूर्तियों को प्रभावित करने
		के लिए आंशिक रूप से उपयोग किया गया हो अथवा
		- "टी3" यदि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5)
		के अंतर्गत आईटीसी अयोग्य है।
	*	4. Sitt-itt SiiQeitti Si ii i Qi
		टिप्पणी: सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों का यह दायित्व होगा
-		कि वे अपने संबंधित स्थानीय जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श
		से टी1, टी2, टी3, टी4 एवं सी2 के रूप में आवक आपूर्तियों पर
		दिए गए कर को सही से फ्लैग करें।
5.	दिनांक	उक्त परिपत्र में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, भारतीय रेल
	31.03.2021	द्वारा सेवाओं की सभी जावक आपूर्ति को अग्रेषण प्रभार तंत्र में
	का आरबीए	
	सं. 26/2021	(जीएसटी प्रावधानों के अंतर्गत किसी छूट के अध्यधीन) पर
		जीएसटी प्रभारित करना अपेक्षित है और इसे अपने ग्राहकों से
		एकत्रित करने तथा अग्रेषण प्रभार के अंतर्गत सरकारी खजाने में
		इसका भ्गतान करने के लिए भी दायी है। उक्त बीजक को मासिक
	e e	रिटर्न में अग्रेषण प्रभार के अंतर्गत भी दर्शाया जाएगा।
6.	दिनांक	भारतीय रेल द्वारा डिपोजिंग फर्म (Deposing Firm) को निक्षेप कार्य
	26.05.2023	आधार पर निर्माण संविदा सेवाओं की आपूर्ति अब अग्रेषण प्रभार
ie i	का आरबीए	तंत्र में परिवर्तित कर दी गई है। अतः भारतीय रेल द्वारा कर
	सं. 19/2023	बीजक (जीएसटी प्रावधानों के अंतर्गत किसी छूट के अध्यधीन) पर
		जीएसटी प्रभारित करना और इसे अपने ग्राहकों से एकत्रित करना
	a a	आवश्यक है तथा अग्रेषण प्रभार के अंतर्गत सरकारी खजाने में
		इसका भुगतान करने के लिए भी दायी है। उक्त बीजक को मासिक
		रिटर्न में अग्रेषण प्रभार के अंतर्गत भी दर्शाया जाएगा।
i		निक्षेप कार्यों के आधार पर निर्माण संविदा सेवाओं की आगे आपूर्ति
_	,	के लिए भारतीय रेल द्वारा प्राप्त आवक आपूर्तियों को क्रम सं. 4
L		, "

में दिए गए अनुदेशों के अनुसार फ्लैग किया जाएगा।

सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां अपने स्थानीय जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। उक्त अनुदेशों के कार्यान्वयन में किसी विशेष विषय के मामले को रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।

(विपुल त्रिपाठी) निदेशक/लेखा रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1. रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति के सभी कार्यपालक निदेशक।
- 2. रेलवे बोर्ड में निदेशक स्तर जीएसटी सेल के सभी निदेशक।
- प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां।
- प्रबंध निदेशक/आईआरएफसी।
- महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस, महाप्रबंधक/आईआरईपीएस, क्रिस।
- 6. जीएसटी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, गवर्नमेंट ईमार्केटप्लेस, दूसरा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001 को उपरोक्त को जीईएम पोर्टल में लागू करने के अनुरोध के साथ जैसा रेल मंत्रालय के दिनांक 27.11.2020 के पत्र में अनुरोध किया गया था।